

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3639 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्रीमती प्रियंका सैनी 04.9.90	सिंचाई कार्यशाला, रूड़की	स्थापना खण्ड, रूड़की	शासनादेश सं० 221278 / XXX (2) /2024/E-33080, दिनांक 28.06.2024/ धारा 17(1)(ख)(ग)	

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3639 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3640 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री राजकुमार 06.01.72	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3640 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3641 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री महेन्द्र सिंह 3.04.87	नलकूप खण्ड, देहरादून	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

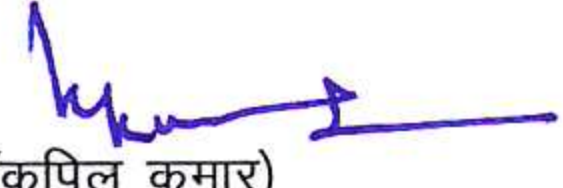
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3641 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3642 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	कु० खुशबुलता 02.06.87	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

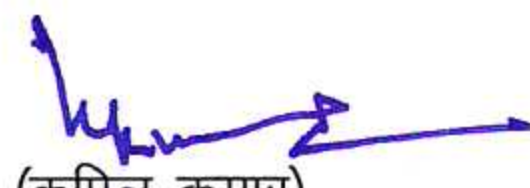
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3642 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


 (कपिल कुमार)
 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
 कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3643 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	कु0 दिशा सिंह 23.03.91	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3643 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3644 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री अभिषेक कुमार 20.02.86	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	नलकूप खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्याभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्याभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्याभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3644 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3645 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / रथा0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री सन्दीप सिंह 22.06.91	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	नलकूप खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

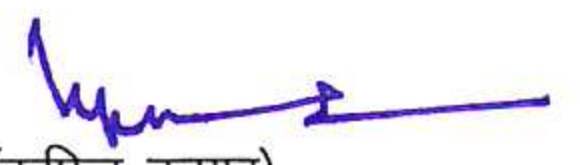
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3645 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3646 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री राकेश कुमार 02.11.86	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	नलकूप खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3646 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3647 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री अनिल कुमार यादव 14.11.78	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थापना खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

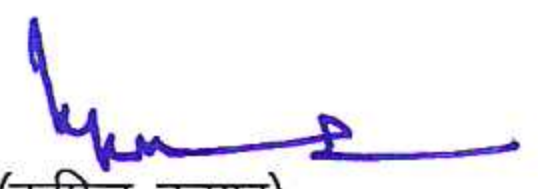
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3647 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3648/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-15/स्था0

दिनांक 10 जुलाई 2025

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र-2025 में अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में अनुरोध के आधार पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री मनीष सिंह	नलकूप खण्ड, टनकपुर	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) (सात) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।
- इन्हें कोई स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

शंकर कुमार साहा
मुख्य अभियन्ता

संख्या : 3648/प्र0अ0/कार्मिक-2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता